न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–22 / 2023 (2023 / 68) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अणछीदेवी पत्नि मांगीलाल जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. गोकल पिता किशना व्यास निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदयलाल पिता चम्पा व्यास निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सम्पत पिता दीपचन्द निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. रामेश्वर पिता भैरू लुहार निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपीलाल पिता नवलराम व्यास निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बालु पिता मियाचन्द जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चान्दी पत्नि मियाचन्द जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. लोकेश सिंह चारण –

प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम माण्डकाखेड़ा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 188 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 209 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विप[illegible]बार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने दिनांक 20.12.2022 को विपक्षीगण [illegible] लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने [illegible] विवश होना पड़ा है। प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये ज[illegible] आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.15 16:06:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 06.02.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम माण्डकाखेड़ा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 188 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 209 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बंधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500 / –रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000 / –रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.15 16:06:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—22/2023 (2023/68) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अणछीदेवी पत्नि मांगीलाल जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. गोकल पिता किशना व्यास निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उदयलाल पिता चम्पा व्यास निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सम्पत पिता दीपचन्द निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. रामेश्वर पिता भैरू लुहार निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपीलाल पिता नवलराम व्यास निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बालु पिता मियाचन्द जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चान्दी पत्नि मियाचन्द जाट निवासी माण्डकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 16.05.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम माण्डकाखेड़ा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 188 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 209 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय [illegible] के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.15 16:06:54 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा